

समस्त संस्था प्रधान एवं पीईईओ,  
रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि./  
रा.मा.वि./रा.उ.मा.वि.(बालिका सहित)

विषय-इंटरशिप हेतु विद्यालय में कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार B.Ed./D.El.Ed./B.Sc.-B.Ed./B.A.-B.Ed. प्रथम वर्ष (द्वितीय चरण) के प्रशिक्षणार्थियों को इंटरशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन ऑनलाईन प्रक्रिया से दिनांक 12.03.2020 को किया गया है इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि -

1. यदि आपका विद्यालय बोर्ड परीक्षा केन्द्र है और परीक्षा उपरान्त विद्यालय में नियमित कक्षाएँ संचालित की जा रही है तो इंटरशिप प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय में कार्यग्रहण करवा कर प्रतिदिन बोर्ड परीक्षा समाप्ति उपरान्त उपस्थित होकर अध्यापन हेतु पाबन्द किया जावें।
2. यदि आपके विद्यालय में बोर्ड परीक्षा केन्द्र है और परीक्षा उपरान्त विद्यालय में नियमित कक्षाएँ संचालित नहीं की जा रही है तो प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय में कार्यग्रहण तो तुरन्त करवा लिया जावें लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के पूर्ण होने के बाद जब नियमित विद्यालय प्रारम्भ हो तब से विद्यालय में उपस्थित होकर अध्यापन हेतु पाबन्द किया जावें।
3. उक्त दोनों स्थिति नहीं होने पर पूर्वानुसार कार्यग्रहण करवायें एवं अध्यापन/स्थानीय परीक्षा में उपस्थिति हेतु पाबन्द किया जावें।

अतः पत्र की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावें।

13/3/20  
(एम.आर.बागडियो)

अति० राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक: 13/3/2020

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./शालादर्पण/इंटरशिप/2020/945

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शि. प. जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शि. प. जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक मा.शि./प्रा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

13/3/20

(योगेश कुमार गुड)  
उपनिदेशक  
शाला दर्पण मुख्यालय, जयपुर